[2025] 6 एसी.सी.आर. 1: 2025 आईएनएससी 615

राजू @ उमाकांत
बनाम
मध्य प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील क्रमांक 2377/2025)

01 मई 2025

[न्यायमूर्ति श्री संजय करोल एवं न्यायमूर्ति श्री के.वी. विश्वनाथन]

विचारणीय बिंदु

क्या अपीलार्थी की दण्ड संहिता,1860 की धारा 366, 376(2)(छ) और 342 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा3(2)(v) के अंतर्गत दोषसिद्धि न्यायोचित है।

शीर्ष टिप्पणियाँ †

दंड संहिता, 1860 – धारा 376(2)(छ) का स्पष्टीकरण 1 – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 – धारा 3(2)(फ) – अपीलार्थी को धारा 366, 376(2)(छ) और 342, भारतीय दंड संहिता तथा धारा 3(2)(v), 1989 के अधीन दोषसिद्ध किया गया – इस दोषसिद्धि को चुनौती :

अभिनिर्धारित: धारा 376(2)(छ), भा.द.स. के अंतर्गत सामूहिक बलात्संग के मामले में, यदि समूह के सभी व्यक्तियों ने सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कार्य किया है, तो समूह में से किसी एक व्यक्ति का किया गया कार्य भी सभी को दंडित करने के लिए पर्याप्त है -- धारा 376(2)(छ) के आरोप में सामान्य आशय निहित होता है और आवश्यकता केवल इस बात के साक्ष्य की होती है कि सामान्य आशय मौजूद था-- अभियोक्त्रि ने अपने बयान में अत्यंत स्पष्ट, दृढ़ और बिना किसी डगमगाहट के यह कहा कि अपीलार्थी और सह-अभियुक्त दोनों ने उसके साथ बलात्संग किया--
पीड़िता का अपहरण, उसका विधिविरुद्ध परिरोध, तथा उसके साथ लैंगिक हमला किए जाने के उसके अभिसाक्ष्य की दृष्टि में धारा 376(2)(छ) के सभी घटक पूर्ण रूप से सिद्ध होती हैं -- अपीलार्थी और सह-अभियुक्त ने मिलकर तथा अभियोक्त्रि पर लैंगिक हमला करने के सामान्य आशय से कृत्य किया -- धारा 366, 342 और 376(2)(छ) भा.द.स. के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया --किन्तु, तथ्यों के आधार पर, धारा 3(2)(v), 1989 अधिनियम के अंतर्गत अपराध सिद्ध नहीं होता-- अतः अपीलार्थी को धारा 3(2)(v), 1989 अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। [पैरा 19(घ), 23]

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 – धारा 3(2)(v) – कब लागू नहीं होती – वर्तमान मामला, यदि पाटन जमाल वली मामले में निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत आता है:

अभिनिर्धारित: नहीं — ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह स्थापित हो कि पीड़िता की जातीय पहचान अपराध होने का आधार थी -- तथ्यों के अनुसार पाटन जमाल वली मामले में निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत आने जैसा कोई साक्ष्य नहीं है -- धारा 3(2)(v), 1989 अधिनियम के अपराध को आकर्षित करने वाले किसी साक्ष्य के आभाव में , अपीलार्थी की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है और उसे इस आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। [पैरा 44, 45]

आपराधिक विधि — बलात्संग — अभियोक्त्रि का अभिसाक्ष्य - भरोसा किया:

अभिनिर्धारित: अभियोक्त्रि सहअपराधी नहीं होती और यदि उसका साक्ष्य विश्वास योग्य हो तो उस पर बिना किसी संपुष्टि के भी भरोसा किया जा सकता है -- वर्तमान मामले में, न केवल अभियोक्त्रि का साक्ष्य स्वाभाविक प्रतीत होता है, बल्कि वह विश्वास भी जगाता है -- तथ्यों के आधार पर, संपुष्टि की आवश्यकता को सुरक्षित रूप से समाप्त किया जा सकता है -- विधि केवल यह अनिवार्य करती है कि न्यायालय इस बात से अवगत और सचेत रहे कि वह ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य पर कार्यवाही कर रहा है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखता है -- यदि इस पहलू को ध्यान में रखने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि साक्ष्य विश्वसनीय है, तो वह केवल अभियोक्त्रि के अभिसाक्ष्य के आधार पर भी निर्णय दे सकता है। [पैरा 17, 18]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 — धारा 114क — बलात्संग के लिए कितपय अभियोजन में सम्मति के न होने की उपधारणा :

अभिनिर्धारित : यह दलील कि पीड़िता सह-अभियुक्त के साथ संबंध में थी और उसमें सम्मति थी, ख़ारिज की गई -- अभियोक्त्रि के साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसे उसकी सम्मति के विरुद्ध बलपूर्वक मैथुन के लिए विवश किया गया -- एक बेहद कमजोर सुझाव के अलावा कि अभियोक्त्रि पिछले चार वर्षों से सह-अभियक्त के साथ शारीरिक संबंध में थी और वह उसकी स्वतंत्र इच्छा से उसके घर गई थी, कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो इस उपधारणा का खंडन कर सके। [पैरा 25]

आपराधिक विधि — बलात्संग — टू-फिंगर परीक्षण — प्रथा की निंदा की गई — दोहराया गया कि ऐसी तिरस्कारपूर्ण प्रथा को आगे जारी न रखा जाए:

अभिनिर्धारित : यद्यपि अभियोक्त्रि का चिकित्सकीय परीक्षण 29.06.2004 को किया गया था, जो इस न्यायालय के उन निर्णयों से बहुत पहले था जिनमें ऐसी प्रथा की निंदा की गई थी तथा यह निर्देश दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो "टू-फिंगर परीक्षण" या "पर वेजाइनम परीक्षण"

(लैंगिक हमले के अधीन कतिथ व्यक्ति के परीक्षण के दौरान) इस न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन में करता है, वह कदाचार का दोषी होगा, तथापि, यह दोहराया जाता है कि यह घृणित, अमानवीय और अपमानजनक प्रथा लैंगिक हमले की पीड़िताओं पर दोबारा न अपनाई जाए और भविष्य में भी ऐसी प्रथाएँ दोहराई न जाएँ।
[पैरा 29, 31]

शब्द और वाक्यांश -- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 — धारा 3(2)(v) —"इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है" — 2016 संशोधन — विवेचित। [पैरा 35-42]

उद्धृत न्यायदृष्टान्त

पाटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य **[2021] 3 एससीआर 470 : (2021) 16 एससीसी 225 — अप्रयोज्य अभिनिर्धारित किया गया।**

राजस्थान राज्य बनाम एन.के. आरोपी **[2000] 2 SCR 818 : (2000) 5 SCC 30**; रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य **[1952] 1 SCR 377 : (1951) SCC 1213**; महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवल चंद जैन **[1990] 1 SCR 115 : (1990) 1 SCC 550**; पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह **[1996] 1 SCR 532 : (1996) 2 SCC 384**; सेलवमणि बनाम राज्य पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा रिपोर्ट **[2024] 6 SCR 653 : 2024 SCC ऑनलाइन SC 837**; नीरज दत्ता बनाम राज्य (दिल्ली NCT सरकार) **[2023] 2 SCR 997 : (2023) 4 SCC 731**; प्रमोद महतो बनाम बिहार राज्य **(1989) Supp. 2 SCC 672;** अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य **(2003) 2 SCC 143**; राजस्थान राज्य बनाम रोशन खान **[2014] 1 SCR 418 : (2014) 2 SCC 476**; मोहम्मद इकबाल बनाम झारखंड राज्य **(2013) 14 SCC 481**; CBI बनाम मोहम्मद. परवेज़ अब्दुल कयूम **[2019] 8 SCR 439 : (2019) 12 SCC 1 (पैरा 65)**; लिल्लू @ राजेश बनाम हरियाणा राज्य **[2013] 2 SCR 774 : (2013) 14 SCC 643**; झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय @ पांडव राय **[2022] 13 SCR 1033 : (2022) 14 SCC 299**; दिनेश @ बुद्ध बनाम राजस्थान राज्य **[2006] 2 SCR 793 : (2006) 3 SCC 771**; अशर्फी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **[2017] 12 SCR 128 : (2018) 1 SCC 742** खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य **[2019] 11 SCR 270 : (2020) 18 एससीसी 763 — संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989; साक्ष्य अधिनियम, 1872.

कीवर्ड की सूची

दंड संहिता, 1860 – धारा 376(2)(छ) का स्पष्टीकरण 1; सामूहिक बलात्संग ; सामान्य आशय के अग्रसर में ; धारा 376(2)(छ), भा.द.स. में सामान्य आशय निहित; धारा 376(2)(छ), भा.द.स. के घटक पूरी तरह लागू; पीड़िता का अपहरण; विधिविरुद्ध परिरोध, लैंगिक हमले के अधीन; धारा 3(2)(v), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989; पाटन जमाल वली मामला; टू-फिंगर परीक्षण; बलात्संग के लिए कितपय अभियोजन में सम्मति के न होने की उपधारणा।

किससे उद्भूत मामला

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील क्र. 2377/2025.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 19.09.2024, आपराधिक अपील क्र. 2324/2006 से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

अपीलार्थी के अधिवक्तागण :

सुषील तोमर, विष्णु कान्त, अविनेश तिवारी, संजीव मल्होत्रा।

प्रतिवादी के अधिवक्तागण:

सार्थक रायजादा, सुश्री मृणाल गोपाल एल्कर, मुकेश कुमार वर्मा, आदित्य चौधरी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन

१. अनुमति प्रदान की गयी।

२. वर्तमान अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की खंडपीठ के निर्णय और आदेश आपराधिक अपील क्र. 2324/2006) को चुनौती देती है। उक्त निर्णय में उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम), कटनी, मध्य प्रदेश द्वारा विशेष सत्र प्रकरण क्र.140/2004 और विशेष सत्र प्रकरण क्र.136/2005 में अपीलार्थी पर लगाया गया दोषसिद्धि एवं दंडादेश की पुष्टि की। इस प्रकार अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भा.द.स.') की धारा 366, 376(2)(छ) और 342 तथा अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में 'अधिनियम 1989') की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। धारा 366 भा.द.स. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को 5 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000/- रूपये जुर्माने से दंडनीय किया गया एवं जुर्माने के व्यतिक्रम में 6 माह कठोर कारावास से दंडनीय किया जायगा। धारा 376(2)(छ) भा.द.स. एवं धारा 3(2)(v), 1989 अधिनियम अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को आजीवन कठोर कारावास एवं 2000/- रूपये से दंडनीय किया गया एवं जुर्माने के व्यतिक्रम में 1 वर्ष कठोर कारावास से दंडनीय किया जायगा। धारा 342 भा.द.स. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को 6 माह कठोर कारावास एवं 2000/- रूपये जुर्माने से दंडनीय किया गया एवं जुर्माने के व्यतिक्रम में २ माह कठोर कारावास से दंडनीय किया जायगा। व्यथित, अपीलार्थी हमारे समक्ष है।

३. अपीलार्थी अभियुक्त क्र.1 था और एक जलंधर कोल अभियुक्त क्र.2 था। अभियुक्त क्र. 2 को उन्ही समान अपराधों के लिए दण्डित किया गया जैसे अपीलार्थी को, परन्तु अभियुक्त क्र. 2 को अधिनियम 1989 के अंतर्गत दोषसिद्ध एवं दण्डित नहीं किया गया। दूसरा अंतर यह था कि जहा तक धारा 376(2)(छ) का सम्बन्ध है, अभियुक्त क्र.2 को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000/- रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया एवं जुर्माने के व्यतिक्रम में 1 वर्ष कठोर कारावास से दंडनीय किया जायगा। अभियुक्त क्र.2 हमारे समक्ष नहीं है।

अभियोजन का मामला:

4. अभियोजन का मामला एक गुमशुदगी रिपोर्ट क्रमांक 11/2004 से शुरू हुआ, जो 24.06.2004 को 18:30 बजे, पुलिस थाना कैमोरे, जिला कटनी, मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। परिवादी 'S' (अ.सा.2) ने पुलिस को बताया कि पिछली रात 10 बजे उनकी बेटी — अभियोक्त्रि (जिसे आगे 'R' कहा जाएगा), 'SA' (ब.सा.-1) के साथ फगुन चौधरी के घर बारात देखने गई थी। परिवादी ने कहा कि 'R' वापस घर नहीं आई। उसकी पहचान बताई गई और यह भी बताया गया कि वह हरे रंग की साड़ी और ब्लाउज पहने हुए थी। रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई।

5. दस्तयावी पंचनामा प्रदर्श पी-1 के अनुसार, 28.06.2004 को 11:30 बजे, 'R' को 'LB' (ब.सा.-2) के घर से बरामद किया गया। 'LB' को अपीलार्थी की पत्नी बताया गया था(हालांकि पश्चात में अभियोक्त्रि के साक्ष्य के भाग से अभिलेख में आया कि अपीलार्थी राजू और LB केवल संबंध में थे।) दस्तयावी पंचनामा स्वतंत्र गवाह अ.सा.-3 'TP' एवं अन्य पंच साक्षियों के समक्ष तैयार किया गया तथा अ.सा.-11 उप-निरीक्षक जे.एल. मिश्रा द्वारा हस्ताक्षरित था।
दस्तयावी पंचनामा में लिखा था:

"हम पंचों की उपस्थिति में, गाँव झिरिया की 'R',(अभियोक्त्रि) जो पहले राजू के घर में थी, उसे LB द्वारा उसके घर लाया गया, जो की LB के घर से कैमोरे पुलिस ने उसे दस्तयाव किया।"

'LB' ने दस्तयावी पंचनामा पर हस्ताक्षर किए।

6. अ.सा.-11 जे.एल.मिश्रा ने अभियोक्त्रि 'R' को दस्तयाव करने के पश्चात उसका कथन दर्ज किया और धारा 376, 363, 366, 342, 506/34 भा.द.स. तथा धारा 3(1-12) ,अधिनियम 1989 के अंतर्गत अपराध क्र.113/2004 दर्ज किया। प्रदर्श पी-20 प्रथम सूचना रिपोर्ट है और दिनांक 28.06.2004 को 16:00 बजे दर्ज हुई। अपने बयान में, जिसके आधार पर प्र.सू.रि. दर्ज हुई, 'R' ने कहा कि अभियुक्त जलंधर ने उसे धमकाकर अपहरण किया, मारने की धमकी देकर बलात्कार किया, अपीलार्थी ने जलंधर को अपराध कारित करने में सहायता की, तथा उन्हें हरिस्टोन कछगवां में अपने कमरे में रखा। प्रदर्श पी-2 द्वारा, पीड़िता 'R' ने अपने चिकित्सकीय परीक्षण की सम्मति दी, और उसके पिता अ.सा.-2 'S' ने भी यही सम्मति दी।

7. अ.सा.-13 एस.के. पांडे ने अपने कथन में कहा कि वे डीएसपी, अजाक, थाना कटनी में पदस्थ थे और 30.06.2004 को प्रकरण अपराध क्र. 113/2004 की केस डायरी उन्हें अन्वेषण हेतु प्राप्त हुई। अ.सा.-13 ने आगे कथन किया कि अभियोक्त्रि और उसके पिता थाना अजाक कटनी पर उपस्थित हुए और 30.06.2004 को प्रदर्श पी-3 प्रस्तुत किया। प्रदर्श पी-3 में अभियोक्त्रि की पिता द्वारा यह उल्लिखित था कि 'R' फगुन की बेटी की बारात देखने गई थी ; कि बारात से लौटते समय उसका व्यपहरण हो गया ; कि गाँव झिरिया का राजू और गाँव बर्चेखा का जलंधर कोल उसका पीछा कर रहे थे ; कि 'R' के न मिलने पर अ.सा.-2 ने कैमोरे थाने में सूचना दी एवं उसका पता लगाने की कोशिश जारी रखी ; कि अ.सा.-2 को पता चला कि अभियुक्त राजू और जलंधर ने मिलकर 'R' का व्यपहरण किया है और उसे विभिन्न स्थानों पर परिरोध करके रखा है; कि पुलिस को सूचना दिए जाने का पता चलते ही जलंधर वह स्थान छोड़कर भाग गया; अभियोक्त्रि 'R' को मुक्त कराया गया; कि अपीलार्थी जलंधर और राजू गुंडे हैं और अभियोक्त्रि 'R' उनसे डरती थी; कि 'R' डरी हुई थी जब उसने बताया कि जलंधर और राजू ने 'R' का बलपूर्वक व्यपहरण किया एवं उसे खेत के घर में परिरोध किया एवं बलात्संग कारित किया ; कि उसे धमकाकर, उन्होंने अभियोक्त्रि को अपनी अभिरक्षा में विभिन्न स्थानों पर परिरोध करके रखा; कि डर के कारण से यह बात वह पहले नहीं बता सकी और इसलिए आज यह आवेदन दिया गया है; कि राजू और उसके साथियों द्वारा धमकियाँ दी जा रही हैं और इसलिए अन्वेषण की प्रार्थना की गई।

8. अन्वेषण के दौरान, 22.07.2004 को, 'R' ने थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रदर्श पी-6 दिया जिसमें यह उल्लेख था कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के कारण जलंधर और राजू द्वारा उसे

धमकियाँ दी जा रही हैं। यह भी कहा गया कि 20.07.2004 को अभियुक्त राजू ने उन्हें गाली दी और यहाँ तक कि घर के दरवाज़े पर लात भी मारी। विधिक कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

9. राजू को 23.07.2004 को गिरफ्तार किया गया और जलंधर को 22.05.2005 को गिरफ्तार किया गया। 31.07.2004 को चालान प्रस्तुत किया गया जिसमें राजू और जलंधर को अभियुक्त बताया गया, और यह भी उल्लेख किया गया कि जलंधर के विरुद्ध पृथक अनुपूरक चालान प्रस्तुत किया जाएगा। चालान धारा 376(2), 366, 363, 342, 34 और 506 भा.द.स. सहपठित अधिनियम,1989 की धारा 3(1-12), 3(2)(v) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दायर किया गया। 25.05.2005 को विचारण न्यायालय द्वारा सत्र प्रकरण क्र. 140/2004 में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 366, 376(2)(छ), 342 भा.द.स. एवं अधिनियम,1989 की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए।

10. विचारण में, अभियोजन ने तेरह साक्षियों का परीक्षण किया और कई दस्तावेज़ प्रस्तुत किए एवं बचाव पक्ष ने दो साक्षियों का परीक्षण किया। साक्ष्यों के मूल्यांकन पर, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी और अभियुक्त जलंधर को दोषसिद्ध अभिलिखित किया और उन्हें दंडित किया। विवरण ऊपर पैराग्राफ 1 में पहले ही दिया जा चुका है। उच्च न्यायालय ने भी निर्णय को बरकरार रखा। अभियुक्त क्र. 1 हमारे समक्ष अपील में है।

11. हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील तोमर और राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सार्थक रैज़ादा को सुना और अभिलेखों का परीक्षण किया। हमने उच्च न्यायालय से विचारण न्यायालय के अभिलेख भी मंगवाए और हिंदी दस्तावेज़ों का अनुवाद प्राप्त किया। हमने विचारण न्यायालय के अभिलेखों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है।

विश्लेषण और कारण: -

12. अधिवक्ताओं ने वह सभी तर्क दोहराए जो उन्होंने कनिष्ठ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए थे। हमने चर्चा के दौरान उन तर्कों पर विचार किया है, इसलिए उन्हें यहाँ अलग से दर्ज नहीं किया जा रहा है।

13. यद्यपि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय में अभियोक्त्रि की आयु को सम्बन्ध में विवाद उठाया गया था, परंतु विचारण में यह पाया गया कि अभियोजन संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा कि घटना तिथि पर अभियोक्त्रि की आयु 18 वर्ष से कम थी। इस निष्कर्ष की पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी की। हमें इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता।

14. यह मामला अभियोक्त्रि 'R' के अभिसाक्ष्य पर आधारित है, जिसका परीक्षण अ.सा.-1 के रूप में किया गया था। उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि, लगभग 1:00 बजे, जब वह और उसकी

दोस्त 'SA' शादी समारोह से लौट रही थीं, तो वे शौच के लिए रुकी। इसके पश्चात, जब वे अपने घर की ओर जा रही थीं, तो अभियुक्तगण ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। अभियोक्त्रि के अनुसार, जब अपीलार्थी राजू ने उसे पकड़ा, तो जलंधर उसके साथ था। अ.सा.-1 का कहना है कि उसी समय उसकी सहेली भाग गई। उसने कथन किया कि जब एक ने उसे पकड़ा तो दूसरे ने उसका मुँह दबा दिया और धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो उसे मार डालेंगे। उसने कथन किया कि अभियुक्तगण के पास एक दो-पहिया वाहन था और उन्होंने बलपूर्वक उसे उस वाहन पर बिठाया और अपीलार्थी के घर ले गए जो खेतों के बीच में था। उसने कथन किया कि दोनों अपीलार्थियों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ सदोष कृत्य किया। उसने कथन किया कि उसने हरे रंग की साड़ी पहने हुए थी और उसने आगे बताया कि जलंधर ने अपना लिंग उसकी योनि में डालकर सदोष कृत्य किया। राजू ने भी अपना लिंग उसकी योनि में डालकर सदोष कृत्य किया। तत्पश्चात, अभियुक्तगण उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर दैर-सलैया ले गए। अपीलार्थी उसे अपने घर ले गया जहाँ 'LB' थी, जिसके साथ उसका संबंध था, और उसने उसे कमरे में बंद कर दिया और दो दिनों के बाद उसके पिता उसे वहाँ से छुड़ा ले आए। उसने आगे स्पष्ट रूप से कथन किया कि उसने अपने माता-पिता, भाई और भाभी को इस घटना के बारे में बताया था और अपीलार्थी राजू 'LB' के साथ रहा और जलंधर 'LB' से चाबियाँ लेने के बाद उसे दूसरे घर ले गया।

14. यह मामला अभियोक्त्रि 'R' के अभिसाक्ष्य पर आधारित है, जिसका परीक्षण अ.सा.-1 के रूप में किया गया था। उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि, लगभग 1:00 बजे, जब वह और उसकी दोस्त 'SA' शादी समारोह से लौट रही थीं, तो वे शौच के लिए रुकी । इसके पश्चात, जब वे अपने घर की ओर जा रही थीं, तो अभियुक्तगण ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। अभियोक्त्रि के अनुसार, जब अपीलार्थी राजू ने उसे पकड़ा, तो जलंधर उसके साथ था। अ.सा.-1 का कहना है कि उसी समय उसकी सहेली भाग गई। उसने कथन किया कि जब एक ने उसे पकड़ा तो दूसरे ने उसका मुँह दबा दिया और धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो उसे मार डालेंगे। उसने कथन किया कि अभियुक्तगण के पास एक दो-पहिया वाहन था और उन्होंने बलपूर्वक उसे उस वाहन पर बिठाया और अपीलार्थी के घर ले गए जो खेतों के बीच में था। उसने कथन किया कि दोनों अपीलार्थियों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ सदोष कृत्य किया। उसने कथन किया कि उसने हरे रंग की साड़ी पहने हुए थी और उसने आगे बताया कि जलंधर ने अपना लिंग उसकी योनि में डालकर सदोष कृत्य किया। राजू ने भी अपना लिंग उसकी योनि में डालकर सदोष कृत्य किया। तत्पश्चात, अभियुक्तगण उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर दैर-सलैया ले गए। अपीलार्थी उसे अपने घर ले गया जहाँ 'LB' थी, जिसके साथ उसका संबंध था, और उसने उसे कमरे में बंद कर दिया और दो दिनों के बाद उसके पिता उसे वहाँ से छुड़ा ले आए। उसने आगे स्पष्ट रूप से कथन किया कि उसने अपने माता-पिता, भाई और भाभी को इस घटना के बारे में बताया था और अपीलार्थी राजू 'LB' के साथ रहा और जलंधर 'LB' से चाबियाँ लेने के बाद उसे दूसरे घर ले गया।

15. अ.सा.-1 ने आगे कथन किया कि जलंधर ने शराब पी और उसे भी शराब पीने के लिए विवश किया। तत्पश्चात, उसने स्पष्ट रूप से कथन किया कि जलंधर ने उसके साथ बलात्संग किया।

इसके अतिरिक्त, उसने स्पष्ट रूप से कथन किया कि अपीलार्थी राजू भी दैर-सलैया के दूसरे घर पर पहुँचा और उसके साथ सदोष कृत्य किया। उसने कहा कि दैर-सलैया एक घनी बस्ती थी जहाँ वह दो दिन रही; कि वह 'LB' के निवास पर भोजन करती थी, कि वह नहाती थी और अपने कपड़े धोती थी और उसने 'LB' को अभियुक्तगण द्वारा किए गए सदोष कृत्य के बारे में नहीं बताया। अभियोक्त्रि ने इस सुझाव का खंडन किया कि उसके पिता चाहते थे कि जलंधर राजू की सेवाएँ छोड़ दे और राजू ने जलंधर को नहीं हटाया और इस प्रकार उसके पिता ने राजू के विरुद्ध एक झूठा मामला दर्ज किया। उसने इस सुझाव का खंडन किया कि वह चार साल तक जलंधर के साथ शारीरिक संबंध में थी। उसने स्वीकार किया कि उसकी पहली शादी गाँव पौरी में हुई थी। उसने इस बात का खंडन किया कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से खेत में बने घर में गई थी। अ.सा.-1 ने इस सुझाव का खंडन किया कि राजू ने उसके साथ कोई बलपूर्वक कृत्य कारित नहीं किया।

16. अ.सा.-1 ने कहा कि जब उसके मुंह पर पट्टी बांधी गई और उसे उठाया गया, तब जलंधर ने उसे पकड़ लिया और राजू (अपीलार्थी) मोटर बाइक लेने गया और दोनों उसे मोटरसाइकिल पर ले गए। उसने आगे कथन किया कि अभियुक्तगण ने उसका पेटीकोट उठाया और उसका अंतर्वस्त्र फाड़ दिया। उसने कथन किया कि अपीलार्थी-राजू ने पहले बलात्कार किया और उसके बाद जलंधर ने। उसने यह भी बताया कि राजू नशे में था, और जलंधर नहीं था। उसने कहा कि कमरे में अंधेरा था और वे एक-दूसरे को नहीं देख पा रहे थे और जलंधर ने चटाई बिछाई और अभियुक्तगण ने एक के बाद एक सदोष कृत्य किया।

17. हमने अ.सा.-1 के साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हम इस बात से आश्वस्त हैं कि मामूली विरोधाभासों के होते हुए भी, उसके साक्ष्यों से विश्वास पैदा होता है और उसने अभियुक्तगण द्वारा उसका अपहरण करने और उसके साथ बलात्संग करने के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है। उसने उसको सदोष परिरोध करने के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया है। प्रतिपरीक्षा में उसके अभिसाक्ष्य को कमजोर करने के लिए कुछ भी सामने नहीं आया। भा.द.स. की धारा 366, 376(2)(छ) और 342 के अंतर्गत आरोप स्पष्ट रूप से सिद्ध होते हैं। अब यह अच्छी तरह से सुस्थापित हो गया है कि अभियोक्त्रि सह-अपराधी नहीं है और यदि अभियोक्त्रि के साक्ष्य से विश्वास पैदा होता है तो उस पर बिना सम्पुष्टि के भी कार्रवाई की जा सकती है।

18. न केवल 'R' के साक्ष्य स्वाभाविक लगते हैं, बल्कि वे विश्वास भी जगाते हैं और हमें इस बात का बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि इस मामले के तथ्यों के आधार पर, पुष्टिकरण की किसी भी आवश्यकता को सुरक्षित रूप से त्यागा जा सकता है। जैसा कि उचित रूप से अवलोकित किया गया है, लैंगिक हमले के अधीन महिला या लड़की कोई सह-अपराधी नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की काम वासना का शिकार होती है और उसके साक्ष्य का संदेह से परीक्षण करना अनुचित और अवांछनीय होगा। विधि केवल यह निर्देश देती है कि न्यायालय को इस तथ्य से अवगत और सचेत रहना चाहिए कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य पर विचार कर रहा है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखती है और यदि उस पहलू को ध्यान में रखते हुए न्यायालय

तत्पश्चात संतुष्ट हो जाता है कि साक्ष्य विश्वसनीय है, तो अभियोक्त्रि के एकमात्र अभिसाक्ष्य पर कार्रवाई करने से न्यायालय को कुछ भी नहीं रोक सकता। [देखें **<u>राजस्थान राज्य बनाम एन.के. अभियुक्त</u>**, (2000) 5 एससीसी 30, **<u>रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य</u>**, 1951 एससीसी 1213, **<u>महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवल चंद जैन</u>**, (1990) 1 एससीसी 550, **<u>पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह</u>**, (1996) 2 एससीसी 384]

19. 28.06.2004 के एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-20 और 30.06.2004 की परिवाद प्रदर्श पी-3 में कथन में विभिन्नता और साक्ष्य में मामूली कटौती, अभियोक्त्रि (अ.सा.-1) के उस निर्णायक अभिसाक्ष्य की गंभीरता को कम नहीं करती, जिसमें उसने अपीलार्थी एवं सह-अभियुक्त को स्पष्ट रूप से दोषी ठहराया है। यह तथ्य कि एफ.आई.आर. (प्रदर्श पी-20) में सिर्फ अभियुक्त जलंधर द्वारा बलात्संग का ही स्पष्ट रूप से उल्लेख था और अपीलार्थी की भूमिका केवल मदद करने की थी, और यह तथ्य कि अभियोक्त्रि और उसके पिता द्वारा दिया गया सम्मति पत्र भी केवल जलंधर द्वारा बलात्संग का ही उल्लेख करता है, अपीलार्थी के पक्ष में नहीं जाता है।
हम निम्नलिखित कारणों से ऐसा कह रहे हैं:

(क) *प्रथम*,- इस मामले में, भा.द.स. की धारा 366 के अंतर्गत अपहरण के पहलू के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है और उस पर कोई विरोधाभास नहीं है।

(ख) *दूसरा*, अ.सा.-2, अभियोक्त्रि के पिता, ने 24.06.2004 की सुबह तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और 28.06.2004 को अभियोक्त्रि को 'LB' के घर से दस्तयाव किया गया, जिसे राजू-अपीलार्थी के घर से लाया गया था। इसका उल्लेख अ.सा.-1, अ.सा.-2, अ.सा.-3 'TP' और अ.सा.-11, जे.एल. मिश्रा ने किया है।

(ग) *तीसरा*, - भले ही अ.सा. 3 'TP' को पक्षद्रोही साक्षी माना गया हो, दस्तयाव के संबंध में उसका साक्ष्य स्पष्ट रूप से विश्वसनीय है क्योंकि वह कथन करता है कि पुलिस ने लड़की को उसकी मौजूदगी में 'LB' के घर से दस्तयाव किया और दस्तयावी पंचनामा प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर थे और यह दस्तयावी पंचनामा उसकी मौजूदगी में तैयार किया गया था। यह सुस्थापित है कि अभियोजन साक्षी के साक्ष्य को केवल इसलिए पूर्ण रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही मानने और उससे प्रतिपरीक्षा करने का निर्णय लिया। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे साक्षियों के साक्ष्य को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ या अभिलेख से मिटा हुआ नहीं माना जा सकता, बल्कि सावधानीपूर्वक परीक्षण करने पर उनके साक्ष्य जहाँ तक विश्वसनीय पाए जाते हैं , केवल उसी सीमा तक स्वीकार किये जा सकते हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहाँ ऐसे साक्षी का साक्ष्य अभियोजन के मामले के अनुरूप हो, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। [देखें सेल्वमणि बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक के माध्यम से, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 837 और नीरज दत्ता बनाम राज्य (दिल्ली के एनसीटी सरकार) (2023) 4 एससीसी 731 (पैरा 87)]। अतः,

अभियुक्तगण द्वारा अभियोक्त्रि को परिरोध करने से उसकी रिहाई के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य मौजूद हैं।

(घ) *चौथा,* अपने साक्ष्य में, अभियोक्त्रि ने अपीलार्थी और सह-अभियुक्त जलंधर दोनों द्वारा बलात्संग की घटना के बारे में स्पष्ट, निर्णायक और अटूट रूप से कथन किया।

(ङ) *पांचवां,* यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 376 (2)(g) के अंतर्गत आरोप है, जो इस प्रकार है:-

"376. बलात्कार के लिए दंड.-

(2) जो कोई -

(जी) सामूहिक बलात्संग करित करता है, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।:

परंतु यह कि न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए, दस वर्ष से कम की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की अधिरोपित कर सकता है।

स्पष्टीकरण 1.- जहां किसी स्त्री से, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां इस उपधारा के अभिप्राय में उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है। "

20. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपराधिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 (जो अंततः आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 बना) में 376(2)(छ) के *स्पष्टीकरण 1* में, यह प्रस्तावित किया गया था कि सामूहिक बलात्संग को तीन या अधिक व्यक्तियों द्वारा आपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में कारित किया गया बलात्संग, के रूप में परिभाषित किया जाए। संसद की संयुक्त समिति ने सिफारिश की कि सामूहिक बलात्संग के मामलों में *"यदि सिर्फ एक व्यक्ति बलात्संग कारित करे, तब अन्य सभी शामिल व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और समान रूप से दंडित किया जाना चाहिए"* और यह सिफारिश की कि सामूहिक बलात्संग को *"व्यक्तियों के एक समूह में एक या अधिक लोगों द्वारा किया गया बलात्संग"* के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। [आपराधिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पर 02.11.1982 को प्रस्तुत संयुक्त समिति की रिपोर्ट देखें।] इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया और आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 को उपरोक्त उद्धृत वर्तमान रूप में व्याख्या के साथ लागू किया गया।ऽ

21. यह पहलू **<u>प्रमोद महतो और अन्य बनाम बिहार राज्य</u>**, (1989) अनु. (2) एससीसी 672 के मामले में इस न्यायालय के समक्ष न्यायिक विचार के लिए भी आया है, जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सामूहिक बलात्संग की बढ़ती समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के

उद्देश्य से यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है एवं ऐसी परिस्थितियों में, यह आवश्यक नहीं है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता पर प्रत्येक अभियुक्त द्वारा बलात्संग के पूर्ण कृत्य या जहां एक से अधिक पीड़िता हों, उन पर प्रत्येक अभियुक्त द्वारा बलात्संग का निर्णायक प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

22. इसके अतिरिक्त, **अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य,** (2003) 2 एससीसी 143 के मामले में, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:-

> "8. अपीलार्थी के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 376(2)(छ) के अंतर्गत आरोप है। भा.द.स. की धारा 376(2)(छ) सहपठित स्पष्टीकरण । के अंतर्गत अपराध स्थापित करने के लिए , अभियोजन पक्ष को यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि एक से अधिक अभियुक्तगण ने मिलकर सामान्य आशय में कृत्य किया हैं और **ऐसी स्थिति में, यदि एक ने भी बलात्संग कारित किया है, तो सभी अभियुक्तगण दोषी होंगे, इस तथ्य को विचार में लाए बिना कि उसका बलात्संग एक या अधिक लोगों ने किया था और अभियोजन पक्ष के लिए प्रत्येक अभियुक्त द्वारा बलात्संग के पूर्ण कृत्य का साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।** अन्य शब्दों में, यह प्रावधान संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को समाहित करता है और इस दायित्व का मर्म सामान्य आशय का अस्तित्व है; यह सामान्य आशय पूर्व-नियोजित साजिश की पूर्वधारणा करता है जिसे कार्रवाई के दौरान प्रकट हुए अपराधियों के आचरण से निर्धारित किया जा सकता है और यह अचानक उत्पन्न और निर्मित हो सकता है, परन्तु , मस्तिष्कों का मिलान होना चाहिए। यह पर्याप्त नहीं है कि प्रत्येक अपराधी की स्वतंत्र रूप से वही मंशा हो। ऐसे मामलों में अपराध करने में कुछ सीमा तक संयुक्तता दर्शाने वाली आपराधिक साझेदारी होनी चाहिए।"

(जोर दिया गया है)

23. इसे देखते हुए, यह बहुत स्पष्ट है कि धारा 376(2)(छ) के अंतर्गत सामूहिक बलात्संग के मामले में, एक व्यक्ति का कृत्य समूह में शामिल सभी को दंडित करने के लिए पर्याप्त है, जब तक कि उन्होंने सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कार्य किया हो। इसके अलावा, सामान्य आशय स्वयं धारा 376(2)(छ) के आरोप में निहित है और केवल सामान्य आशय के अस्तित्व को दर्शाने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है।

24. इस मामले में, जैसा कि घटनाओं के क्रम से स्पष्ट है, पीड़िता का अपहरण, उसका सदोष परिरोध, लैंगिक हमले का शिकार होने के बारे में उसका अभिसाक्ष्य, इस तथ्य की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करता है कि धारा 376(2)(छ) के घटक स्पष्ट रूप से लागू होते हैं और यहाँ अपीलार्थी ने जलंधर कोल के साथ मिलकर अभियोक्त्रि 'R' पर लैंगिक हमला करने के लिए एकजुट होकर और एक सामान्य आशय से कृत्य किया। यद्यपि अभियोक्त्रि ने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा था कि अपीलार्थी ने भी उसके साथ लैंगिक हमला किया, फिर भी हमने इस पहलू पर केवल इसलिए विचार किया है क्योंकि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि एफआईआर और

सम्मति पत्र में, बलात्संग के लैंगिक हमले में एक प्रतिभागी के रूप में अपीलार्थी की भूमिका का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है।

(च) अंत में, यह तर्क कि अभियोक्त्रि सह-अभियुक्त जलंधर कोल के साथ संबंध में थी और इससे सम्मति का संकेत मिलता है, सिर्फ उल्लेख करने मात्र से ही अस्वीकार किए जाने योग्य है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A, जैसा कि 2004 में लागू थी, इस प्रकार है:-

"**114 क. बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने की उपधारणा** - भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ), खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ट), खंड (ठ), खंड (ड) या खंड (ढ) के अधीन बलात्संग के लिए किसी अभियोजन में, जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उससे बलात्संग किया गया है, सम्मति के बिना किया गया था और ऐसी स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी।"

25. इस धारा पर इस न्यायालय के समक्ष **राजस्थान राज्य बनाम रोशन खान और अन्य,** (2014) 2 एससीसी 476 और **मोहम्मद इकबाल और अन्य बनाम झारखंड राज्य,** (2013) 14 एससीसी 481 के मामले में भी इस पर विचार किया गया था। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 क के दृष्टिकोण से, सामूहिक बलात्संग के मामले में सम्मति की अनुपस्थिति की उपधारणा होती है और यह उपधारणा की जाएगी कि अभियोक्त्रि ने सम्मति नहीं दी, जब तक कि वह न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह न कहे कि उसने सम्मति दी थी। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह उपधारणा इस तर्क पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ कई व्यक्तियों के लिए सम्मति नहीं दे सकता। इस मामले में, इस कमजोर सुझाव के सिवाय कि अभियोक्त्रि पिछले चार वर्षों से सह-अभियुक्त जलंधर कोल के साथ शारीरिक संबंध में रही थी और वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से जलंधर कोल के घर गई थी, इस उपधारणा का खंडन करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोक्त्रि के साक्ष्य को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि उसकी सम्मति के विरुद्ध उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक संबंध बनाए गए थे। उसने इस सुझाव का भी विशेष रूप से खंडन किया है कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से जलंधर के साथ गई थी।

26. हम 'SA' (ब.सा.-1) पर विश्वास करने के इच्छुक नहीं हैं, जिसने बचाव पक्ष के पक्ष में कथन किया है कि अभियोक्त्रि 'R' ने उसे बताया था कि शादी से लौटते समय, उसे कहीं जाना था और फिर वह जलंधर कोल के साथ चली गई थी और आगे यह भी कि राजू मौजूद नहीं था। अपने प्रति-परीक्षण में ही, उसने स्पष्ट किया कि उसे नहीं पता था कि जलंधर ने अभियोक्त्रि को ले जाने

के पश्चात उसके साथ क्या किया और न ही उसे पता था कि वे कहाँ गए थे। ब.सा.-1 ने स्वीकार किया कि उसके पिता अपीलार्थी के लिए काम करते है। उसने आगे कथन किया कि उसने कभी किसी को यह नहीं बताया कि अभियोक्त्रि कहाँ गई या किसके साथ गई। यह भी इंगित किया जाना चाहिए कि अभियोक्त्रि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले उसके पिता, अ.सा.-2 ने रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि ब.सा.-1 ने उन्हें बताया था कि उसे नहीं पता कि अभियोक्त्रि कहाँ गई। इसके अतिरिक्त , अभियोक्त्रि 'R' ने स्वयं कथन किया था कि जब उसका अपहरण किया जा रहा था, तो ब.सा.-1 भाग गई थी। इन सभी कारणों से, हम ब.सा.-1 के साक्ष्य को कोई महत्व देने के लिए तैयार नहीं हैं।

27. इसी तरह, 'LB' (ब.सा.-2) के वह साक्ष्य सत्य एवं प्राकृतिक प्रतीत नहीं होता हैं, जो यह दावा करता है कि अभियोक्त्रि ने 200/- रुपये प्रति माह पर घर किराए पर लिया था और 200/- रुपये अग्रिम भुगतान किया था। उसका साक्ष्य, जप्ती पंचनामा प्र.पी-1 की अंतर्वस्तु के भी विपरीत है, क्योंकि ब.सा.-2 इस बात से इनकार करती है कि लड़की के दस्तयाव के समय उसने लड़की को राजू के घर से लाया था। यह दर्शाने के लिए भी साक्ष्य हैं कि वह अपीलार्थी से परिचित है और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बचाव पक्ष के साक्षी केवल एक झूठी कहानी प्रस्तुत करने के लिए लाए गए थे। साक्षी ने 200 रुपये की राशि की कोई रसीद या किसी प्रकार का किराया संबंधी प्रबंध या समझौता भी प्रस्तुत नहीं किया।

28. अभियोक्त्रि का चिकित्सकीय परीक्षण करने वाले डॉक्टर (अ.सा.-10) के बयान से कोई विशेष तथ्य साबित नहीं होता है। उनका यह साक्ष्य कि कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती थी, और 'R' के होंठ पर चोट के अलावा कोई अन्य चोट मौजूद नहीं थी, इसका यह मतलब नहीं है कि अभियोक्त्रि 'R' पर लैंगिक हमला नहीं किया गया था। यह भी सुस्थापित है कि जहाँ प्रत्यक्ष साक्ष्य स्पष्ट हो, तो वह चिकित्सा साक्ष्य पर अभिभावी होगा। [देखें **<u>केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य बनाम मोहम्मद परवेज अब्दुल कायूम और अन्य</u>**, (2019) 12 एससीसी 1 (पैरा 65)]

29. हालांकि, हमें मामले के एक पहलू पर टिप्पणी करने की आवश्यकता है। अभियोक्त्रि का दो-उंगली परीक्षण किया गया था, हालांकि चिकित्सकीय परीक्षण 29.06.2004 का है और यह इस न्यायालय के **<u>लिल्लू उर्फ राजेश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य</u>**,(2013) 14 एससीसी 643 और **<u>झारखण्ड राज्य बनाम शैलेन्द्र कुमार राय उर्फ पांडव राय</u>**, (2022) 14 एससीसी 299 के निर्णयों से बहुत पूर्व की है। हम इस पहलू पर केवल इसलिए पुनः जोर दे रहे हैं ताकि यह घृणित, अमानवीय और अपमानजनक प्रथा लैंगिक हमले की पीड़िताओं पर दोबारा न दोहराई जाए।

30. **शैलेन्द्र कुमार (पुर्वोक्त)** मामले में, इस न्यायालय ने **लिल्लू (पुर्वोक्त)** पर निर्भर करने के पश्चात, निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया है:-

65. किसी महिला का “मैथुन की अभ्यस्त” होना या “मैथुन की आदी” होना, यह निर्धारित करने के लिए बिल्कुल अप्रासंगिक है कि क्या किसी विशेष मामले में धारा 375 भा.द.स. के अवयव मौजूद हैं या नहीं। तथाकथित यह परीक्षण इस गलत धारणा पर आधारित है कि एक यौन रूप से सक्रिय महिला के साथ बलात्कार नहीं किया जा सकता। इससे अधिक सत्य कुछ नहीं हो सकता कि यह निर्धारित करते समय कि क्या अभियुक्त ने उसके साथ बलात्संग किया, एक महिला का यौन इतिहास पूरी तरह से अप्रासंगिक है। इसके अलावा, किसी महिला के अभिसाक्ष्य का प्रमाणिक मूल्य उसके यौन इतिहास पर निर्भर नहीं करता है। यह सुझाव देना पितृसत्तात्मक और लिंगभेदी है कि जब कोई महिला कहती है कि उसके साथ बलात्संग किया गया है, तो केवल इसलिए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह यौन रूप से सक्रिय है।

66. विधानमंडल ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जब उसने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 पारित किया, जिसने अन्य बातों के अलावा, साक्ष्य अधिनियम में धारा 53-क को जोड़ने के लिए संशोधन किया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 53-क के अनुसार, लैंगिक अपराधों के अभियोजन में, पीड़िता के शील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा।

31. इस न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों से निम्नलिखित कार्य करने का आग्रह किया:

"**69.1**. यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार दिशानिर्देश सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को प्रसारित किए जाएं।

69.2. स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिए कर्मशालाएं आयोजित करें ताकि लैंगिक हमले और बलात्संग की पीड़ितों की जांच करते समय अपनाई जाने वाली उचित प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा सके।

69.3. चिकित्सा विद्यालयों में पाठ्यक्रम की समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लैंगिक हमले और बलात्संग के पीड़ितों की जांच करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में से एक के रूप में "टू-फिंगर टेस्ट" या पर वैजाइनल जांच को निर्धारित न किया जाए।"

पैरा 71 में आगे यह निर्देश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो इस न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए (लैंगिक हमले का शिकार होने वाले अभिकथित व्यक्ति का परीक्षण करने के दौरान) "टू-फिंगर टेस्ट" या पर वैजाइनल परीक्षण करता है, तब वह दुराचार का दोषी होगा।

32. यद्यपि इस मामले में दो-उँगली परीक्षण 29.06.2004 को किया गया था, जो इसके अमानवीय स्वरूप के बारे में जागरूकता पैदा होने से बहुत पूर्व की बात है, फिर भी हम इस पहलू को केवल इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी प्रथाएं दोबारा न हों।

एससी/एसटी अधिनियम 1989 के अंतर्गत आरोप नहीं लगाए गए।

33. निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व, एक पहलू है जिसे कनिष्ठ न्यायालयों ने पूर्ण रूप से अनदेखा कर दिया है और जो अपीलार्थी के पक्ष में होना चाहिए। अपीलार्थी 1989 अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है। 1989 अधिनियम की धारा 3(2)(v), प्रासंगिक समय पर, इस प्रकार है:-

> "**3. (2)** कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है-
>
> *****
>
> (v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनूसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा;"

34. धारा का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, भारतीय दंड संहिता के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनूसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

35. जहाँ तक धारा 3(2)(v) के घटकों का संबंध है, "इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है" शब्द इस न्यायालय के समक्ष कुछ अवसरों पर विचार के लिए आए हैं। **दिनेश उर्फ बुद्ध बनाम राजस्थान राज्य**, (2006) 3 एससी 771 के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :-

> "15. धारा 3(2)(v) के लागू होने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध इस आधार पर किया गया हो कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। इस मामले में इस आवश्यकता को स्थापित करने के लिए

कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन का यह मामला नहीं है कि पीड़िता के साथ बलात्संग इसलिए किया गया क्योंकि वह अनुसूचित जाति की सदस्य थी। इस संबंध में साक्ष्य के अभाव में, धारा 3(2)(v) लागू नहीं होती है। यदि अत्याचार अधिनियम की धारा 3(2)(v) लागू होती, तो विधि के अंतर्गत, सजा आजीवन कारावास और जुर्माना होती।"

36. यह निर्णय दिया गया कि धारा 3(2)(v) के लागू होने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि अपराध किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस आधार पर किया गया हो कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।

37. इसी प्रकार का निर्णय **अशर्फी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, (2018) 1 एससीसी 742 के मामले में भी दिया गया था, जिसमें पैरा 8 और 9 में, निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया गया था:-

"8. वर्तमान मामले में, एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की असंशोधित धारा 3(2)(v) लागू होती है क्योंकि घटना 8-12-1995/9-12-1995 की रात को हुई थी। एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) के असंशोधित प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि यह विधि ऐसे अपराध को करने में अभियुक्त के आशय पर जोर देता है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से होने के कारण तुच्छ दिखाना है।

9. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य और सामग्री यह नहीं दर्शाती है कि अपीलार्थी ने पीड़िता के साथ बलात्संग इसलिए कारित किया गया था क्योंकि वह अनुसूचित जाति से संबंधित थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) तभी लागू की जा सकती है, जब यह साबित हो कि बलात्संग इसलिए कारित किया गया था क्योंकि अ.सा. 3 फूल देवी अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित थीं। सिर्फ इसलिए कि अपीलार्थी ने .... पर अपराध किया क्योंकि वह अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है, इस आशय को साबित करने वाले साक्ष्य के अभाव में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि बरक़रार नहीं राखी जा सकती।"

38. **खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य,** (2020) 18 एससीसी 763 के मामले में भी इसी तरह का निर्णय था।

39. हालाँकि, हम पाते हैं कि **पाटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य,** (2021) 16 एससीसी 225 के मामले में इस धारा का गहन विश्लेषण किया गया था। न्यायालय की ओर से बोलते हुए,

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ (तब के विद्वान मुख्य न्यायाधीश) ने, तीन पूर्व के फैसलों का उल्लेख करने के पश्चात, सही रूप से यह माना कि विधान ने "केवल इस आधार पर" वाक्यांश का उपयोग नहीं किया था। **पाटन जमाल वली (पूर्वोक्त)** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि 'केवल' शब्द को पढ़ने का अभिप्राय होगा एक ऐसे प्रतिबंध को जोड़ना जो विधान में मौजूद नहीं है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि निस्संदेह विधान ने 'आधार पर' शब्द का उपयोग किया है, परन्तु 'आधार' से पहले 'द' का जुड़ाव हमेशा यह मतलब नहीं देता कि अपराध केवल उसी आधार पर किया गया होना चाहिए। न्यायालय ने यह माना कि प्रावधान को इस तरह पढ़ने से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी गरिमा के लिए खतरा पैदा करने वाले हिंसात्मक कृत्यों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बनाए गए एक वैधानिक प्रावधान का प्रभाव कमजोर हो जाएगा। यह भी माना गया कि, जैसा कि यह धारा अपने असंशोधित रूप में थी, केवल यह ज्ञान कि पीड़िता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, अपराध के होने का आधार नहीं कहा जा सकता। हम **पाटन जमाल वाली (पूर्वोक्त)** के निर्णय से सम्मानपूर्वक सहमत हैं।

40. न्यायालय ने **पाटन जमाल वाली (पूर्वोक्त)** में आगे यह निर्णय दिया कि:

> "59. ....जैसा कि हमने पहले भी निर्णय में जोर दिया है, एक अंतर्वर्गीय दृष्टिकोण हमें उत्पीड़न को कई हाशिए पर रखी गई पहचानों से उत्पन्न होने वाले कुल नुकसान के रूप में देखने में सक्षम बनाता है। यह कहना कि धारा 3(2)(v) का संरक्षण इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि अपराध केवल जाति पहचान के आधार पर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के विरुद्ध नहीं किया गया, यह इस बात से इनकार करना है कि सामाजिक असमानताएँ किस तरह संचयी रूप से कार्य करती हैं। यह सबसे हाशिए पर पड़े लोगों के अनुभवों को अदृश्य कर देना है। यह उन अपराधियों को दंड से मुक्ति देना है जो अपने विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक दर्जे के कारण सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के खिलाफ अत्याचार करने के हकदार महसूस करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हुए नुकसान और उसके आधार के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि किसी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार हुआ या वह किस प्रकार प्रभावित हुआ, यह अनेक आधारों या पहचानों के परस्पर प्रभाव का परिणाम था। **धारा 3(2)(v) की व्याख्या यह दर्शाती है कि इस प्रावधान के अंतर्गत दोषसिद्धि तब तक बरकरार रखी जा सकती है जब तक कि अपराध के कारित होने के आधारों में से एक जाति पहचान हो। जिस दृष्टिकोण पर हम अंततः पहुँचे** हैं, उस दृष्टिकोण के अनुसार इस मामले में इन निर्णयों का एक वृहत पीठ के पास संदर्भित करना अनावश्यक है। हम इस प्रश्न को और बहस को आगे किसी उपयुक्त मामले और समय के लिए खुला रखते हैं।"
>
> (जोर दिया गया)

41. इससे पहले, उसी निर्णय में, उस स्थिति से निपटते हुए जहाँ उत्पीड़न एक अंतर्वर्गीय तरीके से काम कर रहा था, इस न्यायालय ने में यह अभिनिर्धारित किया था

"54. मुख्य शब्द हैं "इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है"। अभिव्यक्ति "इस आधार पर" का अर्थ "इस कारण से " या "आधार पर" है। उपरोक्त प्रावधान (जैसा कि यह संशोधन से पूर्व, प्रासंगिक समय पर था, जिस पर बाद में विचार किया जाएगा) एक ऐसी विधि का उदाहरण है जो उत्पीड़न के केवल एकल धुरी मॉडल को ही मान्यता देता है। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है, ऐसे एकल-अक्ष मॉडल किसी व्यक्ति से यह साबित करने की मांग करते हैं कि किसी विशिष्ट सामाजिक विशेषता के कारण उसने अलग-थलग पड़ा हुआ एक विशिष्ट प्रकार का उत्पीड़न झेला है। **हालाँकि, जब उत्पीड़न अंतर्वर्गीय तरीके से काम करता है, तो यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि अलग-अलग आधारों में से कौन सा उत्पीड़न का आधार था, क्योंकि अक्सर कई आधार एक साथ काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक आदिवासी कानूनी विद्वान, लारिसा बेहरेंड्ट** ने, लैंगिक हमले का सामना करने वाली महिलाओं द्वारा अनुभव की गई उस कठिनाई को मार्मिक रूप से व्यक्त किया है, जो विभिन्न कारणों से हाशिए पर हैं, और जो अपने उत्पीड़न के स्रोत की पहचान करने का प्रयास करती हैं:

"**जब कोई आदिवासी महिला लैंगिक हमले का शिकार होती है, तो एक काली महिला के रूप में, उसे यह कैसे पता चले कि उसे एक महिला होने के नाते घृणा की जाती है और उसे नीच समझा जाता है, या उससे इसलिए घृणा की जाती है क्योंकि वह आदिवासी है,** जिसे स्वाभाविक रूप से नीच और व्यभिचारिणी माना जाता है?" [लारिसा बेहरेंड्ट, "एबॉरिजिनल वुमेन एंड द व्हाइट लाइज़ ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट: इम्पलीकेशंस फॉर एबॉरिजिनल वुमेन इन राइट्स डिस्कोर्स", 1 ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट लॉ जर्नल 1 (1993), पृ. 35.]"

(जोर दिया गया है)

42. धारा 3(2)(v) में तब से संशोधन किया गया है (26.01.2016 को संशोधित) और संशोधित रूप में यह इस प्रकार है:-

"3. (2) कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है-

***

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनूसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा;"

43. न्यायालय ने **पाटन जमाल वाली (पूर्वोक्त)** में देखा कि संशोधन ने जाति पहचान के आधार पर अपराध होने के प्रमाण की सीमा को इतना कम कर दिया है कि केवल जानकारी ही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है।। न्यायालय ने यह भी देखा कि धारा 8 में उपधारणा के अनुसार, यह प्रावधान था

कि यदि अभियुक्त पीड़ित या उसके परिवार से परिचित था, तब न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजातीय पहचान की जानकारी थी, जब तक कि अन्यथा साबित न हो।

44. इस मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, हम पाते हैं कि मामले को **पाटन जमाल वाली (पूर्वोक्त)** के दायरे में लाने के लिए कोई सबूत नहीं था। यह तथ्य स्थापित करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं है कि पीड़िता की जाति पहचान अपराध कारित होने का एक आधार था। धारा 3(2)(v) के अपराध को आकर्षित करने वाले किसी भी साक्ष्य के अभाव में, हम अपीलार्थी को 1989 अधिनियम की धारा 3(2)(v) के आरोप से दोषमुक्त करने के लिए बाध्य हैं।

निष्कर्ष :

45. उपरोक्त कारणों से, भा.द.स. की धारा 366, 342 और 376(2)(छ) के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरक़रार रखते हुए, हम अधिनियम,1989 की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अपास्त करते हैं। अब दंडादेश के प्रश्न पर आते हुए, हम अपीलार्थी पर धारा 366 भा.द.स. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित पाँच वर्ष साथ ही साथ जुर्माने का दंड एवं व्यतिक्रम पर दंडादेश जिसे उच्च न्यायालय ने भी अभिपुष्ट किया है, में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हम भा.द.स. की धारा 342 के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित की गई और उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट किये गए दंडादेश में भी हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, धारा 376 (2)(g) के अंतर्गत अपराध के लिए जलंधर कोल (अ-2) पर लगाए गए दंड के समकक्ष दंड को लाने के लिए, हम अपीलार्थी पर लगाया गया आजीवन कारावास के दंड को संशोधित कर 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 2,000/- रुपये के जुर्माने का दंडादेश करते हैं, और जुर्माना का संदाय न करने की स्थिति में एक वर्ष के सश्रम कारावास का व्यतिक्रम दंडादेश अधिरोपित किया जाता है। सभी दंडादेश साथ-साथ भोगे जायेंगे। अभिरक्षा में मौजूद अभियुक्त शेष दंडादेश, निर्देशानुसार, निर्वहन करेगा।

46. अपील को उपरोक्त शर्तों में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपील आंशिक रूप से स्वीकार।

† शीर्ष टिप्पणियाँ तैयार की गयीं: द्वारा निधि जैन

(यश सिंह द्वारा अनुवादित)